

दूरभाष : 0121-2665734
फैक्स : 0121-2666062
CIN : U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : 5121 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था०/अधि०अभि०/2017-18 दिनांक : 27.07.2017

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञाप सं०: 5106/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/एसओ/स्था०/अधि०अभि०/2017-18 दिनांक 26.07.2017 की त्रुटि का संशोधन करते हुये श्री उमेश जैन (अभि० सं०: 2011032) (गृह जनपद-मेरठ) (सेवानिवृत्ति की तिथि-30.11.2027), उपखण्ड अधिकारी, कैराना, विद्युत वितरण खण्ड-2, शामली/अधिशाली अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को एतद्वारा अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, लोनी के रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

1. उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5121 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी)/ (का०प्र० एवं प्रशा०)/ (वाणिज्य)/ (वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभि० (मा०सं० एवं प्रशा०)/ (मुख्यालय), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ/जानपद (वि०), मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र/ गाजियाबाद क्षेत्र।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/ (नोडल अधिकारी), पविनिनि, मेरठ को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि०म०, शामली/ वि०वि०म०-2, बुलन्दशहर/ वि०वि०म०, लोनी।
10. अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०-2, शामली/ वि०परी०ख०-2, बुलन्दशहर/ वि०परी०ख०, लोनी।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उपसचिव अ०प्र०-02/ गोपन अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
14. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
15. संबंधित अधिकारी।
16. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
17. व्यक्तिगत पत्रावली/ कट फाइल।

(रवीन्द्र गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर